कार्यालय/न्यायालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन(म0प्र0)
//आदेश/परिपत्र//

क्रमांक–क्यू/2020 उज्जैन, दिनांक–18.05.2020

प्रति,

विशेष न्यायाधीश,
समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायिक दण्डाधिकारी एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश,
अध्यक्ष, मण्डल अभिभाषक संघ
एवं सभी कर्मचारी स्टाफ,
उज्जैन/तराना/महिदपुर/बड़नगर/नागदा/खाचरौद

माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी सर्कूलर एवं निर्देशो के अनुसार 17 मई, 2020 तक उज्जैन न्यायालय के न्यायालयीन कार्य के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये थे। केन्द्र सरकार द्वारा 31 मई, 2020 तक लॉकडाउन की घोषणा किये जाने से माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के सर्कूलर क्रं.13 जबलपुर दिनांक 17 मई, 2020 में दिनांक 31 मई, 2020 तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने एवं पूर्व आदेश दिनांक 03.05.2020 का विस्तारीकरण दिनांक 31.05.2020 तक करने के कारण आदेशित किया जाता है कि उज्जैन न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई निम्नानुसार होगी:–

1– न्यायालय का नियमित कार्य दिनांक 31.05.2020 तक नहीं होगा, केवल पूर्ववत अत्यावश्यक प्रकृति के मामले सुने जावेंगे।

2– अत्यावश्यक मामलों में सभी प्रकार के जमानत से संबंधित मामले वारंट कैन्सीलेशन, सुपुर्दगीनामा के आवेदनों के त्वरित रूप से निराकरण किये जावेंगे और इनके संबंध में कार्य के बाबत आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर जारी किये जा सकेंगे।

3– अपर सत्र न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य आवश्यक प्रकृति के मामलों में सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तहसील न्यायालयों में सभी अपर सत्र न्यायाधीश अब आज दिनांक से अपने क्षेत्राधिकार वाले अत्यावश्यक प्रकृति के मामले सुन सकेंगे, जिसमें जमानत एवं सुपुर्दगी से संबंधित अत्यावश्यक प्रकृति के निगरानी मामले भी सम्मिलित हैं। सभी मामले जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, अत्यावश्यक प्रकृति के माने जायेंगे।

4– बड़नगर में श्री जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश एवं नागदा में श्री अभिषेक सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश अत्यावश्यक प्रकृति के मामले सुनेंगे और शेष तहसील न्यायालयों में अपर सत्र न्यायाधीश अत्यावश्यक प्रकृति के मामले सुनेंगे।

Scanned with CamScanner

5– दिनांक 18, 19 एवं 20 मई, 2020 के लिये अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई श्री राजेन्द्र देवड़ा, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, उज्जैन करेंगे। न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेंसिंग एवं मोबाइल एप से सुनवाई के संबंध में तथा स्वच्छता के संबंध में जो पूर्व में निर्देश दिये गये हैं, वे यथावत रहेंगे। उनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

पृष्ठां0 कमांक–क्यू–1/2020 उज्जैन, दिनांक–18.05.2020

प्रतिलिपि–

1 श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला उज्जैन
2 पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला उज्जैन
3 उप संचालक, अभियोजन कार्यालय, उज्जैन
4 लोक अभियोजन कार्यालय, उज्जैन
5 कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, उज्जैन
6 प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, उज्जैन
7 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18/5/2020

(श्यामकांत कुलकर्णी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)

Scanned with CamScanner